न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—592/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00490)

1. दिनेश वर्मा पुत्र श्री मोहनलाल वर्मा, निवासी भरतपुर हाल निवासी ग्राम अमराकाबास तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये सहाय क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सरिस्का, अलवर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 15.09.16

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के आदेश दिनांक 03.07.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने लिखित बहस के तथ्यों को दोहरो हुए कथन किया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सरिस्का ने पटवारी हल्का से प्राप्त रिकार्ड व जानकारी के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 108 व रून्द कालीघाटी रकबा 4 बीघा पर डंडा बनाकर कच्चा पक्का निमार्ण कर अतिक्रमण कर लिया है जिस रिपोर्ट पर सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 20.12.1999 को अपीलान्ट को एक नोटिस जारी किया जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 04.04.2000 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 16.09.2000 को आराजी विवादित से बेदखल करने व शास्ती वसूली के आदेश दिये जिसे आदेश दिनांक 16.09.2000 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो अपील भी दिनांक 11.04.2001 को खारिज कर दी गई, तत्पश्चात् अपीलान्ट ने द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो अपील दिनांक 17.07.2001 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि वन विभाग के परिपत्र दिनांक 18.07.1991 व राजस्थान सरकार ग्रुप 1 उप शासन सचिव के पत्र दिनांक 20.11.1987 को ध्यान मे रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें, उक्त निर्णय से व्यथित होकर सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर ने एक निगरानी संख्या 6226/2000/एल आर/अलवर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की जिस निगरानी को मण्डल ने दिनांक 09.02.2010 को सारहीन मानते हुए राजस्व अपील अधिकारी अलवर का निर्णय यथावत रखा, राजस्व मण्डल से पत्रावली वापस अतिरिक्त कलक्टर प्रथम अलवर को प्राप्त होने पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर

P.T.O.

बहस सुनी गई तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर ने अपीलान्ट की अपील को दिनांक 03.07.2019 को आंशिक रूप से स्वीकार कर सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 09.02.2010 के परिपेक्ष्य मे दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करे जो विधि विधान के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2010 के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 17.07.2001 को यथावत रखा है और राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 17.07.2001 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि परिपत्र दिनांक 18.07.1991 व राज्य सरकार के गुप 1 के पत्र दिनांक 20.11.1987 को ध्यान मे रखते हुए निर्णय पारित करे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर प्रथम अलर ने अपीलान्ट के कथन को सही भी माना है उसके बावजूद भी स्वयं निर्णय पारित ना करके पत्रावली को बेवजह प्रेतिप्रेषित करने मे गलती की है जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं राजस्व अपील अधिकारी अलवर ने स्पष्ट तौर पर निर्णय करने का निर्देश दिया था ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर को अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2019 पारित किया गया है जो विधि विधान के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को खसरा नम्बर 108 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम अमरा का बास व कालीधाटी से बेदखल करने का आदेश दिया गया था जबकि हर दो अदालतों ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 108 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वनखण्ड अमरा का बास व 5 बीघा रून्द कालीघाटी कुल 6 बीघा 3 बिस्वा से बेदखल करने के आदेश दिये है जबकि पंचनामा आराजी खसरा नम्बर 108 वनखण्ड अमरा का बास दिनांक 09.08. 1999 को बनाया गया उसमें भी 4 बीघा रकबे पर दीवार बनाकर अतिक्रमण होना बताया गया है, वनपाल ने ही नजरी नक्शा तैयार किया और वनपाल ने ही पंचनामा तैयार किया है जिस पर गवाह राजकुमार सूरजमल के हस्ताक्षर है तो फिर सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का ने किस आधार पर अपीलान्ट के 6 बीघा 3 बिस्वा से बेदखल करने के आदेश दिये है, सहायक क्षेत्र निदेशक ने अपने निर्णय के पेज नम्बर 2 में अंकित किया है कि उक्त क्षेत्र की पैमाईश माह जून व जूलाई में की गई जिसके आधार पर 6 बीघा 3 बिस्वा रकबे पर कब्जा बताते है जबकि इस तरह की कोई पैमाईश आज तक की ही नही गई और ना ही इस तरह का कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का अपने निर्णय में 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण बताते है और उन्ही के विभाग के वनपाल 4 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करना बताते है इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि के अलावा वन

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विभाग की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है क्योंकि अपीलान्ट खसरा नम्बर 108/2 रकबा 8 बीघा का खातेदार है व खसरा नम्बर 115/4 रकबा 4 बीघा का खातेदार है इस प्रकार कुल मिलाकर 13 बीघा आराजी का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है और अपीलान्ट के कब्जे मे 13 बीघा भूमि है इसके अलावा एक इंच भी अपीलान्ट के कब्जे में नही है और यदि इससे जयादा भूमि पर कब्जा है तो उससे बेदखल करने का रेस्पोडेन्ट को पूर्ण अधिकार है लेकिन पत्रावली से इस तरह का कोई प्रमाण साबित नही है कि अपीलान्ट के पास 13 बीघा भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 108/2 रकबा 8 बीघा का खातेदार अपीलान्ट है जिस पर अपीलान्ट ने आवासीय मकानात बना रखे है तथा इसमें से 1672 वर्गगज भूमि का रूपान्तरण भी हो चुका है तथा खसरा नम्बर 115/4 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम अमरा का बास शान्तिदेवी बेवा शिवचरण व देवेन्द्र पुत्र शिवचरण से अपीलान्ट ने दिनांक 05.10.1990 को क्रय की है, खसरा नम्बर 115/4 रकबा 5 बीघा शिवचरण को सन् 1975 में आवंटन की गई थी लेकिन उसे दखल अन्य यानी खसरा नम्बर 108 पर दे दिया, वक्त ऑलोटमेन्ट से शिवचरण व उसके वारिसान उक्त खसरा नम्बर पर काबिज है, वक्त खरीद से आज तक मिन अपीलान्ट उक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज है, इस प्रकार अपीलान्ट के पास केवल 13 बीघा भूमि कब्जे में है, वन विभाग के सर्वेयर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.08.2000 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नम्बर 115 सम्पूर्ण आवंटित हो चुका है तथा अपीलान्ट के कब्जे में 13 बीघा भूमि है। उन्होने आगे कथन किया है कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को केवल मात्र इस वजह से अतिक्रमण माना है कि अपीलान्ट के पास खसरा नम्बर 115/4 रकबा 5 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 108 की तरफ की दक्षिण की 5 बीघा भूमि पर कब्जा है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–1 विभाग के उप शासन सचिव का पत्र क्रमांक प/33/रा/4/87/26 दिनांक 20.11.1987 समस्त जिला कलक्टर राजस्थान को जारी किया गया जिसमें यह अंकित किया गया है कि आवंटित भूमि के बजाय अन्य भूमि का कब्जा दे दिया जाता है या आवंटी ने अनजाने मे अन्य खसरा नम्बर पर कब्जा स्वयं ने ही कर लिया है और उन्हे 10 वर्ष का समय बीत गया हो तो खातेदारी अधिकार मिल जाते है, इस सन्दर्भ मे राजस्थान सरकार वन विभाग के परिपत्र दिनांक 18.07.1991 मे भी यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि दिनांक 25.10.1980 से पूर्व के आवंटित वन भूमि का स्थानान्तरण किया जा सकता है, इस परिपत्र के बिन्दु 'घ' में स्पष्ट अंकित किया गया है कि वन क्षेत्र के मध्य स्थित अथवा इधर–उधर छितरें हुए आवंटियों को वन सीमा के पास स्थानान्तरित किया जावेगा ताकि वन सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव ना पडे, यह केवल सन् 1980 के पूर्व वाले आवंटियों पर लागू होगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में रामचन्द्र व शिवचरण को आराजी सन् 1975 में आवंटित हुई है जिनसे अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा उक्त आराजी को क्रय किया गया है इसलिये राजस्थान सरकार के दोनो परिपत्र मौजूदा प्रकरण पर पूर्णतय लागू होते है,

P.T.O.

किन्तु अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलान्ट की इन बातों को सही रूप से स्वीकार किया है इसके बावजूद भी पत्रावली को प्रेतिषित करने में गलती की है जबकि स्वयं का इस आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करनी चाहिये थी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सैटलमेन्ट विभाग के रिकार्ड एवं मिलान क्षेत्रफल देखने से भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान खसरा नम्बर 199 का गत खसरा नम्बर 115 था और उससे पूर्व खसरा नम्बर 95 था जो वन विभाग के रिकार्ड में नही है, ठीक इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 180 था और इससे पूर्व खसरा नम्बर 104 था जो भी वन विभाग के रिकार्ड में नही है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि रामचन्द्र, शिवचरण को जो भूमि आवंटित की गई वह वन विभाग की भूमि नही थी और अपीलान्ट को उनके द्वारा नियमानुसार विक्रय की गई है जिस पर अपीलान्ट आज भी काबिज है। उन्होने आगे कथन किया है कि उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का के आदेश क्रमांक 01.01.2020 तथा तहसीलदार थानागाजी के आदेश क्रमांक 4 दिनांक 06.01.2020 की अनुपालना मे एक संयुक्त मौका रिकार्ड रिपोर्ट दिनांक 08.01.2020 को तैयार की गई जिसमें भी खसरा नम्बर 180 रकबा 0.17 हैक्टयर है, खसरा नम्बर 181 रकबा 1.62 हैक्टयर, खसरा नम्बर 181/207 रकबा 0.23 हैक्टयर क्षेत्र दिनेश वर्मा पुत्र मोहनलाल वर्मा के नाम पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नम्बर 180 एवं 181/207 रकबा 0.23 हैक्टयर गैर मुमकिन वाणिज्यक भूमि किस्म के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित है, खसरा नम्बर 181 रकबा 1.62 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय दर्ज है, उक्त श्रेणी मे गत खसरा नम्बर 199 रकबा 1.62 हैक्टयर किस्त बारानी तृतीय दिनेश वर्मा पुत्र मोहनलाल वर्मा कौम सुनार के नाम खातेदारी दर्ज है, हाल खसरा नम्बर 199 पर राडीनुमा क्षेत्र सगन जंगल है जहॉ मौके पर किसी भी प्रकार का कब्जा न होकर वन विभाग का ही कब्जा है, खसरा नम्बर 180 में से आवंटित खसरा नम्बर 180, 181, व 181/207 कुल 2.57 हैटक्यर है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर बिना मनन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विधान के विपरित होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जावें और रेस्पोडेनट द्वारा जारी नाटिस धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 को निरस्त किया जावें तथा आराजी खसरा नम्बर 108/1 रकबा 5 बीघा पर राज्य सरकार के परिपत्रों के आधार पर अपीलान्ट को खातेदार दर्ज किया जावें तथा खसरा नम्बर 115/4 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम अमरा का बास से अपीलान्ट का खातेदारी से कलमजन करने के आदेश दिये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि सर्वप्रथम अपीलान्ट यह स्पष्ट करे कि उसने उक्त अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश की है या न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष क्योंकि उक्त अपील मे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर लिखा है इसका मतलब यह है कि द्वितीय अपील या तो

P.T.O.

न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष होती होगी या राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपनी अपील के मद संख्या 1 में लिखा है कि "अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर प्रथम के यहॉ अपील पेश की जो दिनांक 03.07.2019 को खारिज फरमा दी गई" अपीलार्थी से सर्वपथम दिनांक 03.07.2019 का खारिजी आदेश तलब किया जाए ताकि उक्त खारिजी आदेश दिनांक 03.07.2019 के सम्बन्ध में समुचित जवाब दिया जा सके। उन्होने आगे कथन किया है कि वन विभाग के पास जो आदेश दिनांक 03.07.2019 का है जिसमें अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी परन्तु अपीलार्थी का उक्त मद में यह कथन कि "दिनांक 03.07.2019 को अपील खारिज फरमा दी गई जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहॉ पेश की गई जो दिनांक 11.07.2001 को स्वीकार की गई" जबकि दिनांक 03.07.2019 के आदेश के विरूद्ध की गई अपील दिनांक 11.07.2001 को कैसे स्वीकार हो सकती है क्योंकि सन् 2001 पहले आता है सन् 2019 बाद में इस प्रकार अपीलान्ट की सम्पूर्ण अपील में शब्दों एवं दिनांक की ऐसी त्रुटिया है कि स्पष्ट ही नही होता है कि अपीलान्ट आखिर कहना क्या चाहता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि यदि अपीलान्ट की उक्त अपील का अवलोकन किया जाए तो अपीलान्ट उक्त अपील में कथन करता है कि दिनांक 16.09.2000 के आदेश के विरूद्ध अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई और अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गइ जो दिनांक 11.07.2001 को स्वीकार करके वन विभाग को रिमाण्ड करके राजस्थान सरकार के प्रपत्र ग्रुप प्रमुख उप शासन सचिव पत्र दिनांक 20.11.1987 व परिपत्र दिनांक 18.07.1991 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये, दिनांक 11.07.2001 को जो आदेश राजस्व अपील अधिकारी अलवर का था वही आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर का था तो अपीलार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी अलवर के आदेश को आगे चुनौती क्यों नही दी, क्यो पुनः अतिरिक्त जिला कलीक्टर प्रथम अलवर के आदेश दिनांक 03.07.2019 को संभागीय आयुक्त के समक्ष चुनौती दे रहा है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि वन विभाग ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 09.02.2010 को वापस उपरोक्त परिपत्रों के आधार पर फैसला देने का निर्देश दिया इसके बावजूद भी अपीलार्थी ने दिनांक 09.02.2010 के आदेश को चुनौती नही दी और अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के आदेश दिनांक 03.07.2019 को चुनौती दी है जो विधि सम्मत नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 09.02.2010 को पारित किया उसी के क्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर ने आदेश पारित किया, अपीलार्थी ने राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 09.02.2010 को आगे सक्षम न्यायालय में चुनौती

P.T.O.

नही दी और जिस गाईडलाईन की पालना अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर ने राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 09.02.2010 के क्रम में किया, उक्त आदेश को अपीलान्ट ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष चुनौती दे रहा है जो विधि सम्मत नही है तथा कतई पोषनीय नही है बल्कि खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलीय न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह अपने समक्ष आई अपील को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित भी कर सकता है या अपील की सुनवाई कर समुचित आदेश भी पारित कर सकता है, वन विभाग को अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार है, तभी न्यायालय सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का द्वारा दिनांक 16.09.2000 को आदेश पारित किया जो विधि सम्मत एवं न्यायोचित है क्योंकि अपीलार्थी दिनेश वर्मा ने खसरा नम्बर 108 के रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वन खण्ड अमरा का बास व रूंध काली घाटी की 5 बीघा वनभूमि कुल 6 बीघा 3 बिस्वा वनभूमि पर अतिक्रमण किया है जिस पर बेदखल करने का आदेश पारित किया एव साथ ही पेनल्टी भी इम्पोज की गई है, जो न्यायोचित निर्णय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हाल खसरा नम्बर 115 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 108 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम अमरा का बास जिसके साबिक खसरा नम्बर 95 व 104 थे। उक्त खसरा नम्बर राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 30.05.1966 में दर्ज नही है तथा रेस्पोडेन्ट वन विभाग द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उक्त पुराने खसरा नम्बर 95 व 104 वन क्षेत्र अमरा का बास का भाग जाहिर होता हो। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त दोनों खसरा नम्बरों में से ही राज्य सरकार ने अन्य व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है जिनसे अपीलान्ट द्वारा जरिये बयनामा आराजी खरीद की गई तथा वन विभाग को आराजी खसरा नम्बर साबिक 95 हाल 115 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बीघा आराजी पर से अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर धारा 91 भू राजस० अधिनियम 1956 के तहत नोटिस देने का क्षेत्राधिकार सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना को नही था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप-1 विभाग के पत्र दिनांक 20.11.1987 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि आवंटि को आवंटित भूमि के बजाय अन्य भूमि का कब्जा दे दिया जाता है या आवंटियो द्वारा अनजाने में अन्य भूमि पर स्वयं ही कब्जा कर लिया हो जिसके फलस्वरूप आवंटियों का अन्य खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त होने और नियमानुसार 10 वर्ष बीत जाने पर खातेदारी अधिकार मिल जाते है ऐसी स्थिति में यदि अपीलान्ट भौतिक रूप से आवंटित भूमि पर

काबिज नही भी है तो ऐसे में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी तथा तहसीलदार को सम्मलित रूप से सूची बनाकर प्रकरण जिला कलक्टर को स्वीकृति हेतु भिजवाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2019 को एवं न्यायालय सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2000 को निरस्त किया जाता है तथा वन विभाग बाघ परियोजना सरिस्का अलवर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 108/1 रकबा 5 बीघा पर राज्य सरकार के परिपत्रों के आधार पर अपीलान्ट को खातेदार दर्ज करने तथा खसरा नम्बर 115/4 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम अमरा का बास से अपीलान्ट का नाम खातेदारी से कलमजन किया जाकर वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड करने की आवश्यक विनिमय (Exchange) की कार्यवाही सम्पन्न करावें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

-: संशोधन आदेश :-

आदेश दिनांक 21/9/21 के अनुक्रम में निर्णय के प्रथम पृष्ठ पर निर्णय की दिनांक 15.09.16 के स्थान पर 15.09.2021 एवं निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 के पैरा नम्बर 3 व पृष्ठ संख्या 6 के पैरा संख्या 2 पर "रेस्पोडेन्ट नम्बर 2" के स्थान पर "रेस्पोडेन्ट" संशोधित किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर